

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 54/2019 (Bank Case)

दीवान हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि० (DHFL) एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय- बार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर पी.एम. रोड, फार्ट मुम्बई-400001 तथा शाखा कार्यालय- 302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड, जयपुर (राज०) जयें प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव ।

- प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

1. लक्ष्मी बाई रतन लाल निवासी- प्लॉट संख्या 20, उत्तम नगर देवली अरब रोड, शुभम् गार्डन के पीछे कोटा (राज०) 324001

एवं

केआर 1-15 ई एस आई हॉस्पिटल कॉलोनी कोटा (राज०) 324005

एवं

कार्यालय पता- कद चौराह, कोटा, राजस्थान 324009

- (ऋणी)

2. रतन लाल निवासी- प्लॉट संख्या 20, उत्तम नगर देवली अरब रोड, शुभम् गार्डन के पीछे कोटा (राज०) 324001

एवं

केआर 1-15 ई एस आई हॉस्पिटल कॉलोनी कोटा (राज०) 324005

—(सहऋणी / बंधककर्ता)

- अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युरिटीजेशन रिकसट्रक्शन आफ फाईनेशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 14.05.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दीवान हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि० एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय- बार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर पी.एम. रोड, फार्ट मुम्बई-400001 तथा शाखा कार्यालय-302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड, जयपुर (राज०) जयें प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव है ।

अप्रार्थी नं० 1 व 2 ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से जयें ऋण करार संख्या 00002141 दिनांक 26.05.2016 को 16,47,938/- (अक्षरे: रूपये सौलह लाख सेतालिस हजार नौ सौ अडतीस मात्र) का ऋण लिया था तथा अप्रार्थी नं० 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति श्री रतनलाल पुत्र गणेश लाल के नाम रजिस्ट्रीशुदा मकान सं० 20 जिसका क्षेत्रफल 725 वर्गफुट है उत्तम नगर ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा कोटा (राज०) मे स्थित है, जिसकी चतुर्दिशाए पूर्व में रोड 30 फिट चौडा, पश्चिम में - अन्य आराजी, उत्तर मे - अन्य आराजी, दक्षिण में- मुखण्ड सं० 19 को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 01.09.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 12,85,566/- रूपये (अक्षरे रूपये बारह लाख पिच्चासी हजार पांच सौ छियासठ रूपये मात्र) बकाया

Handwritten signature or initials in blue ink.

रकम दिनांक 24.09.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 11.10.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, एवं उक्त नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक लोकमत में दिनांक 01.11.2018 व अंग्रेजी समाचार पत्र दी **The Times Of India** में दिनांक 01.11.2018 को प्रकाशन भी कराया गया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं किया जाने से प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 11.10.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, एवं उक्त नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक लोकमत में दिनांक 01.11.2018 व अंग्रेजी समाचार पत्र दी **The Times Of India** में दिनांक 01.11.2018 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 11.10.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, एवं उक्त नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक लोकमत में दिनांक 01.11.2018 व अंग्रेजी समाचार पत्र दी **The Times Of India** में दिनांक 01.11.2018 को प्रकाशन भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है । अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अचल सम्पत्ति श्री रतनलाल पुत्र गणेश लाल के नाम रजिस्ट्रीशुदा मकान सं० 20 जिसका क्षेत्रफल 725 वर्गफुट है उत्तम नगर ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा कोटा (राज०) में स्थित है, जिसकी चतुःदिशाएं पूर्व में रोड 30 फिट चौड़ा, पश्चिम में - अन्य आराजी, उत्तर में - अन्य आराजी, दक्षिण में- भुखण्ड सं० 19 का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश कियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 14.05.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

